कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार।

(कैम्पा एवं वन संरक्षण संभाग)

तृतीय तल, अरण्य भवन, शहीद पीर अली खाँ मार्ग, पटना–800 014

पत्रांक– FC/ ...396......

प्रेषक,

एस० के० सिंह, भा०व०से०
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
पर्यावरण एवं वन विभाग,
बिहार सरकार, पटना। पटना 14, दिनांक– 06/06/2016

विषय – श्री संजय कुमार द्वारा समस्तीपुर जिलान्तर्गत दलसिंहसराय– रोसड़ा पथ के किनारे मे० एस्सार ऑयल लि० (ESSAR OIL Ltd) का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक समस्तीपुर जिलान्तर्गत संख्या– खाता संख्या– 1 (पुराना), 1166 (नया), खेसरा संख्या–6695, 6725 (पुराना), 11382, 83, 85 (नया), थाना संख्या– 8, तोजी संख्या– 3968, मौजा– कल्याणपुर बमभईया, तहसील–रोसड़ा, जिला–समस्तीपुर अन्तर्गत दलसिंहसराय– रोसड़ा पथ के किनारे मे० एस्सार ऑयल लि० (ESSAR OIL Ltd) का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत् वन भूमि अपयोजन के लिए श्री संजय कुमार, दहु चौक, पोस्ट– कल्याणपुर, थाना– विभुतीपुर, जिला–समस्तीपुर, पिन कोड– 848 160 का प्रस्ताव वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर अंचल, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 2132 दिनांक 18.08.2015 द्वारा इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है।

2. विषयांकित पथ पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या 189 (ई०) एवं 190 (ई०) दिनांक 16.02.1994 से "सुरक्षित वन" के रूप में अधिसूचित है, लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। इस क्रम में वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि रिटेल आउटलेट में जाने वाले पथ (Entry) तथा निकलने वाले पथ (Exit) की माप सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय भुवनेश्वर में इस विषय पर बनी सहमति जो प्रधान सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार को इस कार्यालय के ज्ञापांक FC- 106 दिनांक 19.03.2013 द्वारा संसूचित किया गया है, के अधीन है।

इस प्रकार प्रवेश एवं निकास के रास्ते के लिये कुल 0.01764 हेक्टेयर वन भूमि का अपयोजन प्रस्तावित है।

3. अपयोजन प्रस्ताव के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर द्वारा निर्गत FRA, 2006 का प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

4. अपयोजित होने वाली भूमि का Geo-referenced मानचित्र तैयार कराया गया है, जो संलग्न है।

5. वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रस्तावित स्थल पर पातित होने वाले वृक्षों की संख्या शून्य है। वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रस्ताव के भाग–II में वनों का वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है तथा प्रस्तावित स्थल पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किये जाने की सूचना अंकित की गयी है।

6. इस रिटेल आउटलेट क्षेत्र के आसपास कोई प्राकृतिक वन अवस्थित नहीं है।

7. वन प्रमंडल पदाधिकारी, समस्तीपुर वन प्रमंडल, समस्तीपुर द्वारा Site Inspection report में अंकित किया है कि प्रस्तावित रिटेल आउटलेट पम्प से दूसरे पम्प की दूरी उत्तर में 05 कि०मी० से अधिक एवं दक्षिण में 02 कि०मी० है। उक्त अपयोजन प्रस्ताव पर वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं वन संरक्षक की अनुशंसा प्राप्त है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा–निर्देश की कंडिका 2.5 (II) के आलोक में निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जा सकती है–

(i) भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत् रहेगा।

(ii) 0.01764 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (NPV) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० के दर से रू० 11,043/– (ग्यारह हजार तैंतालीस रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iii) हरितावरण को बनाये रखने के लिये 50 पौधों के रोपण (लौह गैबियन में) एवं 10 वर्षों तक इसके रख–रखाव के लिए आवश्यक राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तत्कालिक दर पर पर्यावरण एवं वन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

(iv) भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भूवनेश्वर के पत्र संख्या 11–29/2004 दिनांक 15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार, पर्यावनरण एवं वन मंत्रालय के पत्रांक 5–3/2007 दिनांक 18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा। तथा उक्त भू–भाग का Commercial उपयोग (बिल्डिंग बना कर भी) नहीं किया जायेगा

प्रस्ताव की दो प्रतियाँ अनुलग्नक के साथ अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु इस पत्र से संलग्न भेजी जा रही है। **उक्त प्रस्ताव पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।**

अतः अनुरोध है कि प्रश्नगत प्रस्ताव पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राँची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय से दण्डात्मक प्रावधान के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति (Stage- I) प्राप्त करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सकती है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(एस० के० सिंह)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)
–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

मोबाईल संख्या– 8986153129 ई–मेल apccfcampa.bih@gmail.com